Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to enhance the honorarium to elected representatives under Panchayati Raj system in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखंड प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि जैसे जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक प्रमुख उप-प्रमुख, उप-मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य आदि को प्रदत्त मानदेय अत्यंत कम है, उसका भी समय पर भुगतान नहीं किया जाता है। मनरेगा के मजदूरों को भी पंचायत के प्रतिनिधियों से ज्यादा भुगतान किया जाता है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को एक सम्मानजनक वेतन अथवा मानदेय एवं भत्तों का भुगतान किया जाये ताकि वे ईमानदारी से आम जनता की सेवा कर सकें और पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य पूर्ण हो।

झारखंड में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरुप प्रदत्त पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी. आर. जी. पी.) का उपयोग जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंसा के अनुसार किया जाता था। लेकिन 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद बी.आर.जी.एफ. बंद हो गया है तथा अन्य निधि से होने वाले विकास कार्यों के लिए जिला परिषद के सदस्यों की अनुशंसा को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उक्त चुने हुए जन प्रतिनिधियों के क्षेत्र में विकास का कार्य प्रभावित हो रहा है और उक्त पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की आम जनता की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। अतएव उक्त पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा विकास कार्य के लिए भी पूर्व की व्यवस्था अथवा विशेष रुप से धनराशि की व्यवस्था करायी जाये ताकि उनकी अनुशंसा पर भी उनके क्षेत्र में विकास कार्य हो सकें अन्यथा पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन निरर्थक होगा।